मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3240

16.12.2024 को उत्तर के लिए

अरावली पर्वत शृंखला

3240. श्री राजकुमार रोत :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अरावली पर्वत शृंखलाओं की मूल स्थलाकृति की पहचान करने के लिए मई, 2024 में एक समिति के गठन के निर्देश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास अरावली पर्वत शृंखलाओं में अंधाधुंध खनन और पेड़ों की कटाई को रोकने की कोई योजना है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश की इस प्राचीनतम पर्वत शृंखला का सर्वेक्षण कराकर संरक्षण करने का है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की मूल स्थलाकृति क्या है और इस पर्वतमाला की पहाड़ियों की प्रकृति और ऊंचाइयों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ड.): भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में रिट याचिका (सिविल) संख्या 4677/1985 में दिनांक 09.05.2024 के अपने आदेश द्वारा मंत्रालय को अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की एकरूप परिभाषा तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का निदेश दिया है। उक्त आदेश में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसरण में, मंत्रालय ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की एकरूप परिभाषा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। यह मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है।

(च): बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र में बांसवाड़ा और डूंगरपुर प्रमंडल शामिल हैं। बांसवाड़ा प्रमंडल में, अरावली पहाड़ी श्रृंखलाएं घाटोल और गढ़ी पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं, जिनकी अधिकतम ऊँचाई 610 मीटर है। डूंगरपुर प्रमंडल में, अरावली पहाड़ी श्रृंखलाएं सागवाड़ा और आत्रि पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं, जिनकी अधिकतम ऊँचाई 572 मीटर है।

*****